न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– दावा संख्या 03/2018

निर्णय दिनांक :– 3.10.2019

1. जगदीशप्रसाद पुत्र गणेशाराम जाति सांसी निवासी लधासर तहसील रतनगढ

... वादी

बनाम

1. गिरधारीराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवंशी निवासी लधासर त. रतनगढ
2. पूरणाराम पुत्र स्व. जैसाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम लधासर त. रतनगढ
3. रामी बेवा सुगनाराम जाति मेघवंशी निवासी लधासर तहसील रतनगढ
4. सोहनलाल पुत्र स्व. परताराम जाति मेघवंशी निवासी लधासर त. रतनगढ
5. मंजू
6. बाबुड़ी
7. चन्दा

(5–7) पुत्रियां स्व. परताराम जाति मेघवंशी निवासी लधासर त. रतनगढ

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

...प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री महावीरसिंह अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से प्रस्तुत यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 26.7.2019 को प्राथमिक रूप से डिकी किया गया। वादगत खेत ख.नं. 407 मीन वर्तमान ख.नं. 644/407 तादादी 14 बीघा 06 विश्वा भूमि रोही ग्राम लधासर तहसील रतनगढ में प्रतिवादी सं. 1 गिरधारीराम के 45 हिस्सा भूमि में 01 बीघा भूमि का तहसीलदार रतनगढ की ओर से मौके की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा दिनांक 18.09.2019 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

2. विभाजन प्रस्ताव पर बहस विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार राज सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। वादी की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नही होना जाहिर किया गया है। पैरोकार राज ने भी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता एवं लगान कायम करने में कोई आपति नही की है। अतः दावा वादी अतिंम रूप से डिकी किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी अतिंम रूप से डीकी किया जाता है। वादगत भूमि का खाता एवं लगान का विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	क्षैत्रफल है. में	लगान
1.	जगदीशप्रसाद पुत्र गणेशाराम जाति सांसी निवासी लधासर त. रतनगढ खातेदार	644/407मी. उ.पूर्वी	0.2529	–
2.	गिरधारीराम पुत्र जैसाराम हि. 49/266 पूरणाराम पुत्र जैसाराम 59/266, रामी पत्नी सुगनाराम हि. 54/266 सोहनलाल, मंजू, बाबूड़ी, चन्दा पुत्र पुत्रियां परताराम बहिब 104/266 हि. जाति मेघवंशी नि. लधासर खातेदार	644/407 मी. द.	3.3640	–

तहसीलदार रतनगढ डिकी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। अतिंम पर्चा डिकी नियमानुसार जारी हो।

आदेश आज दिनांक 3.10.2019 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Judl. /Crim
Part- IV-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'- 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रतनगढ़
इजलास श्रीमति अर्पिता सोनी सिंह
जगदीश प्रसाद बनाम गिरधारीराम वगैरह
दावा बाबत विभाजन
मुकदमा नं. 3 सन् 2018
यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय
व हाजरी श्री महावीर सिंह मिनजानिब मुद्दई व पक्षकार
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है वादग्रस्त भूमि का खाता स्व लगान का विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते है

निज .... मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक........को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3 माह 10 20 19
को जारी की गई

मुहर

दस्तखत .... उपखण्ड अधिकारी
ओहदा .... रतनगढ़ (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			....		
मीजान......			मीजान........		

नोट– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा हेक्टेयर	लगान
1	जगदीश प्रसाद पुत्र गणेशाराम जाति स्वामी निवासी लच्छासर तह. रतनगढ़ खातेदार	644/407 मी. उ. पूर्व	0.2529	—
2	गोवर्धनराम पुत्र जैसाराम हि. 49/266 पुरखाराम पुत्र जैसाराम 59/266, शान्ति पत्नी सुजानाराम हि. 54/266 सोहनलाल, मंजू, बाबूलाल, चन्द्रा पुत्र पुत्रियां परसाराम के हि. 104/266 हि. जाति मेघवंशी नि. लच्छासर खातेदार	644/407 मी. द.	3.3640	—

तहसील रतनगढ़ डिग्री का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2019.11.05 14:59:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: